पचास रुपये

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

FIFTY RUPEES

50RS

प्रबंधकवर्ग/संस्थान के सक्षम/प्राधिकृत अधिकारी द्वारा पहली श्रेणी के दण्डाधिकारी/एस. डी. एम. /ए. डी. एम. के सत्यापन के बाद गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत किए जाने वाला आश्वासन :

मातुश्री अहिल्यादेवी टीचर्स एजूकेशन इन्स्टीटयूट॥ कॉलेज/संस्थान/न्यास/S.No. 8 42 सोसायटी आदि का नाम ॥ मैं / मैं ॥ न्यासी/ अध्यक्ष / प्रिंसीपल /निर्देशक/ हैड/कुलसचिव/संवाददाता/संचालक का नाम ॥ दिलिप उपाध्याय ।

मैं/हम स्वयं द्वारा यह वचन देता हूँ/देते है कि सत्र 2004-2005 ॥ शैक्षणिक वर्ष ॥ से _ _2094-05_ _ _ _ _ ॥ संस्थान / पाठ्यक्रम / कार्यक्रम का नाम॥ बैचलर्स इन एजूकेशन ॥ बी. एड.॥ की मान्यता प्राप्त करने के सम्बन्ध मे अपने /हमारे आवेदन पत्र के संबंध मे निम्न की पूर्ति की जाएगी ।

01. कि राअशिप के समय-समय पर यथानिर्धारित मानदंडो, मानकों और मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार आधारिक, अनुदेशात्मक तथा अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी

02. कि पात्रता की शर्तें पूरी करने वाले छात्रो का दाखिला या तो अर्हक परीक्षा मे प्राप्त अंको के आधार पर अथवा राज्य सरकार/ विश्वविधालय की नीति के अनुसार उनके द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा के आधार पर किया जाएगा ।

03. कि राज्य सरकार की नीति के अनुसार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियो, अन्य पिछडे वर्गो/ विकलांगो आदि के लिए सीटो का आरक्षण किया जाएगा ।

04. कि पाठयक्रम मे दाखिला राअशिप की संबंधित क्षेत्रीय समिति द्वारा मान्यता प्रदान करने के बाद ही किया जाएगा ।

05. ॥क॥ कि रा. अ. शि. परि. के मानदंडों और मानको मे निर्धारित अर्हताओं के अनुसार समुचित रुप से व्यापक विज्ञापन के माध्यम से और विधिवत रुप से गठित चयन समिति की सिफारशों पर मुक्त चयन के जरिए नियमित आधार पर पूर्ण-कालिक स्टाफ नियुक्त किया जाएगा ।

॥ख॥ कि अंशकालिक स्टाफ की नियुक्ति राज्य सरकार/संबंधक विश्वविधालय के मार्गदर्शी सिद्धांतो के अनुसार की जाएगी ।

06. कि शिक्षण शुल्क तथा अन्य शुल्क, संबंधित राज्य सरकार/ संबंधक विश्वविधालय द्वारा निर्धारित दरो पर वसूल किए जाएंगे ।

संचालक
मातुश्री अहिल्यादेवी टीचर्स
एजूकेशन इन्स्टीट्यूट

ATTESTED

NOTARY
MOHAN PAL
DISTT INDORE
PUBLIC NOTARY
M. P. GOVT.

आगे देखें....2....

४९१
ता. ११/५/०३ ५०/A

~~[illegible]~~ सचिव

रामबाबू शर्मा २३/२४ [illegible]

द्वारा [illegible]

[illegible] अग्रवाल
[illegible]
[illegible] इन्दौर

07. कि संस्थान के शैक्षणिक तथा अन्य स्टाफ (अंशकालिक स्टाफ सहित) को संबंधित राज्य सरकार/ संबंधक विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर यथानिर्धारित वेतन का भुगतान किया जाएगा ।

08. कि प्रबंधकवर्ग अपने सभी कर्मचारियो के संबंध मे भविष्य निधि, पेंशन उपादान आदि से संबंधित सांविधिक दायित्वों की पूर्ति करेगा ।

09. कि प्रबंधकवर्ग संतोषजनक सुविधाऐं उपलब्ध कराने और कार्यक्रम के समुचित कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त निधियॉउपलब्ध कराएगा ।

10. कि प्रबंधकवर्ग (1) प्रबंधकवर्ग के प्राधिकृत प्रतिनिधि और क्षेत्रीय समिति के एक अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से चलाए जाने वाली 5 लाख रू. (पॉच लाख रूपये मात्र) की एक स्थायी निधि तथा (2) स्टाफ के 3 महीने के बराबर की एक आरक्षित निधि रखेगा ।

11. कि संस्थान के खाते विधिवत रूप से रखे जाएगे और उनकी लेखापरीक्षा अधिकारियो अथवा तनदी लेखाकार द्वारा प्रतिवर्ष लेखा परीक्षा कराई जाएगी और वे निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेगे ।

12. कि प्रबंधकवर्ग राजशिम द्वारा समय-समय पर निर्धारित सभी शर्तो और मानदंडो का कडाई से पालन करेगा, पूरी निष्ठा के साथ कार्यक्रम आयोजित करेगा और जब कभी आवश्यक होगा राजशिम द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेगा ।

13. यदि किसी मामले मे मातुश्री अहिल्यादेवी टीचर्स एजूकेशन इन्स्टीटयूट (सोसायटी न्यास/कालेज/संस्थान आदि का नाम) द्वारा मानदंडो और मानकों तथा राजशिम द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट/निर्धारित किसी अन्य शर्त की पूर्ति नही हो पाती है राजशिम अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत किसी निकाय अथवा व्यक्ति को किसी अन्य मामले पर कोई विचार किए बिना अपनी मान्यता अथवा अनुमति रद्द करने के संबंध मे सभी आवश्यक कार्यवाई करने की छूट होगी और ऐसी कार्रवाई के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले सभी दायित्व नितांत रूप से संस्थान/प्रबंधकवर्ग द्वारा वहन किए जाऐंगे ।

14. कि प्रबंधकवर्ग किसी वर्ष के दौरान अथवा किसी बैच के लिए न तो पाठयक्रम का समापन होने देगा और न इस तरह की अनुमति देगा और यदि वह ऐसा करने के लिए विवश है तो वह उस वर्ग/बैच के पूरा होने के बाद पाठयक्रम के समापन के लिए राजशिम की सहमति प्राप्त करेगा ।

15. कि प्रबंधकवर्ग ने प्रस्तावित पाठयक्रम के लिए राजशिम द्वारा प्रदान की गई मान्यता मे निर्धारित मानदंडो और शर्तो को देख लिया है, उनका अध्ययन कर लिया है और उन्हे समझ लिया है और वह ऐसा महसूस करता है कि वह इस संबंध मे संतुष्ट है अथवा निरीक्षण के समय तक संतुष्ट हो सकता है और ऐसा न होने की स्थिति मे वह प्रतिकूल निर्णय को स्वीकार करने को तत्पर होगा ।

अधिरत.....3....

संचालक
मातुश्री अहिल्यादेवी टीचर्स
एजूकेशन इस्टीट्यूट

ATTESTED
MOHAN PAL
NOTARY DISTT.-INDORE